संख्या-163/2016/1498/22-2-2016-17(127)/2008

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ : दिनांक 26 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन पुत्र श्री जफ्फू निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासकीय पत्र सं0-130/2016/782/22-2-2016-17(127)/2008, दिनांक 30.08.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन पुत्र श्री जफ्फू, निवासी ग्राम-ओदरा, थाना-सुरसा, जनपद-हरदोई की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

2- रिट याचिका सं0-2626(एम0/बी0)/2016 मरियम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ ने दिनांक 02.09.2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किये हैं:-

1. The petition seeks issuance of a writ or direction in the nature of mandamus directing the respondents to take appropriate statutory action to release the husband of the petitioner under Section 2 of the United Provinces Prisoners' Release on Probation Act, 1938.

2. Short counter affidavit has been filed on behalf of the respondent/State in Court, which is taken on record.

3. In the affidavit it has been stated that case of the convict at issue is under consideration and fresh recommendation is required from the District Magistrate.

4. The Court has been given an assurance by learned counsel for the State that premature release case of the petitioner would be decided within three months of receipt of copy of the order.

5. None has appeared on behalf of the petitioner to prosecute the case.

6. Considering the assurance given by learned counsel for the State, this petition is disposed of.

7. Let the application for premature release be decided, as undertaken, and decision thereof, be conveyed to the convict.

3- मा0 उच्च न्यायालय का उक्त आदेश श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के पत्र दिनांक 03.09.2016 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है, जो शासन में दिनांक 06.09.2016 को प्राप्त हुआ है। मा0 उच्च नयायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 02.09.2016 में उक्त याचिका में दिनांक 01.03.2016 को वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ द्वारा दाखिल सक्षिप्त शपथ-पत्र का संज्ञान लिया गया है जिसमें बन्दी की समयपूर्व रिहाई का प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट स्तर पर उनके नवीन संस्तुति हेतु लम्बित किये जाने का उल्लेख किया गया था तथा मा0 न्यायालय ने याची की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर निर्णय लिये जाने तथा याची को अवगत कराने के निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी गयी है। महानिरीक्षक कारागार के पत्र सं0-13452/पर-3/(एम-25.04.2016), दिनांक 04.05.2016 द्वारा बन्दी लल्लन पुत्र श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जफ्फू की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट की नवीन संस्तुतियों सहित शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया था। महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुतियों के आधार पर सक्षम स्तर से सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 30.08.2016 द्वारा केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लल्लन पुत्र श्री जफ्फू निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए/लाइसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.09.2016 के अनुपालन में बन्दी को उक्त निर्णय से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें। मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 02.09.2016 तत्समय प्राप्त न होने के कारण शासनादेश दिनांक 30.08.2016 में मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का उल्लेख नहीं हो सका। अत: शासनादेश दिनांक 30.08.2016 में उपरोक्त तथ्यों को पढ़े जाने हेतु शासनादेश दिनांक 30.08.2016 को संशोधित समझा जाय।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 30.08.2016 के अन्य तथ्य यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-163/2016/1498(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- श्रीमती मरियम पत्नी श्री लल्लन, मो0-मोहिद्दीनपुर मल्लावां, थाना-मल्लावां, जनपद-हरदोई।
4- श्री आर0के0 द्विवेदी, अपर शासकीय अधिवक्ता, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।